प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.04.2026

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 07.04.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त राहुल कुशवाहा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी जनकपुरी साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को लोहे का पुल जलालाबाद चौकी क्षेत्र गंगनहर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना टीला मोड गाजियाबाद क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 317(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ दिन पहले टीला मोड क्षेत्र से चोरी की थी। मैं पहले भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल कुशवाहा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी जनकपुरी साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से थाना टीलामोड गाजियाबाद से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना टीला मोड पर चोरी का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी के 02 अभियोग व दुष्कर्म का 01 अभियोग **(कुल 05 अभियोग)** पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में नामित/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2026 को वादी श्री उमेश कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद की तहरीरी सूचना दिनांक 05.04.2026 को रात्रि करीब 11.00 बजे मुकदमा वादी के पिता श्री शिवकुमार उम्र करीब 50 वर्ष अपने घर पर थे तभी अभियुक्तगण 1.मिन्टू उर्फ पिकेष पुत्र जितेन्द्र, 2.शुभम 3.क्रिस द्वारा घर के बाहर खडे होकर गाली-गलौच कर रहे थे। शिव कुमार द्वारा गाली देने को मना करने व घर के सामने से जाने को लेकर वाद विवाद हो गया और मिन्टू उपरोक्त द्वारा फायर कर दिया गया जिसमे शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये जिनका यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में उपचार चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस व 3(2)(Va) SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात् थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा

त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1. क्रिस पुत्र बिन्दर 2. शुभम पुत्र हरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

आज दिनांक 07.04.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित महिला अभियुक्ता सोनिया पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को मसूरी अण्डरपास थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता सोनिया ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05.04.2026 को मेरे बेटे मिन्टू उर्फ पिकेष के दोस्त क्रिस, शुभम, मोन्टी मुरादनगर, राज सांगवान अपने गांव के शिवकुमार के घर के सामने खडे होकर बातचीत कर आपस में मुँहभाषा कर रहे थे। इस पर शिवकुमार ने अपने घर के सामने से इन्हे जाने को कह दिया था यह बात मेरे बेटे मिन्टू उर्फ पिकेष को गलत लगी थी और कहा सुनी होने लगी थी इसी बीच मै भी मौके पर आ गयी थी तभी मेरे बेटे मिन्टू उर्फ पिकेष ने आवेश में आकर अपना तंमचा निकालकर फायर कर दिया जिस कारण यह घटना घटित हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

सोनिया पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष हालपता ओरा काईमीरा सोसाईटी आई टावर फ्लैट न0-1003 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना मोदीनगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना मोदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2026 धारा 109(1)/61(2) बी0एन0एस0 व थाना निवाडी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/24 धारा 109 बीएनएस में वांछित/ईनामी अपराधी पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में व एक अन्य साथी गिरफ्तार, घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल 0.32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.32 बोर, 3 अदद मोबाइल फोन ग्रे रंग की आल्टो कार नम्बर-DL6CR9421 बरामद।

पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांकः 07.04.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना मोदीनगर के मु0अ0सं0 144/2026 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस बी0एन0एस0 व थाना निवाडी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/24 धारा 109 बीएनएस में वांछित/ईनामी अपराधी ग्रे रंग की आल्टो कार से अपने एक साथी के साथ मोदीनगर से अपने गांव दौसा बंजारपुर की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना मोदीनगर पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र मोदीनगर में मोदीनगर से भोजपुर जाने वाले रोड पर गदाना गांव से आगे चकरोड के पास चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग 01 ग्रे रंग की आल्टो कार

बिना नम्बर प्लेट की आती दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख कार सवार व्यक्ति कार को मोड़कर चकरोड पर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा व्यक्ति वायें पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। जिसको तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त जलवीर उर्फ जल्लू पर थाना निवाड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/24 धारा 109 बीएनएस मे श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय ग्रामीण जोन कमि0 गाजियाबाद द्वारा गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।

पूछताछ पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम जलवीर उर्फ जल्लू पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र नि0 गांव दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद उम्र-50 वर्ष उपरोक्त मुकदमों की घटना में शामिल होना बताया। तथा दिनांक 02/04/2026 की रात्रि हिस्ट्रीशीटर राहुल कालू पर गोली चलाये जाने की घटना मे अपने अन्य साथियो के साथ शामिल होना बताया अन्य साथियो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

उक्त अभियुक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2026 धारा 109(1)/61(2) बी0एन0एस0 व थाना निवाड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/24 धारा 109 बीएनएस में फरार चल रहा था। जिसकी विवेचना थाना मोदीनगर व थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

(1). जलवीर उर्फ जल्लू पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र नि0 गांव दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद उम्र-50 वर्ष(घायल अवस्था में गिरफ्तार)

(2) जतिन शर्मा पुत्र शंकर शर्मा निवासी मकान नं0 138 गली नं0 13 कड़कड़डूमा थाना आनन्द विहार दिल्ली उम्र 35 वर्ष(कॉम्बिंग में गिरफ्तार)

अभियुक्त जलवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः -

1.मु0अ0सं0 144/2026 धारा 109(1)/61(2) बी0एन0एस0 थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.मु0अ0सं0 181/24 धारा 109 बीएनएस थाना निवाड़ी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3.मु0अ0सं0-690/2022 धारा 386 आईपीसी थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4. मु0अ0सं0-691/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5. मु0अ0सं0-117/1997 धारा 302/201 आईपीसी थाना श्रीनिवासपुरी दिल्ली।

6. मु0अ0सं0-350/1996 धारा 307/302 आईपीसी दिल्ली(पटियाला हाउस कोर्ट मे विचाधीन)।

7. मु0अ0सं0-79/1997 धारा 302/120बी आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

8. मु0अ0सं0-36/1997 धारा 394 आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

9. मु0अ0सं0-117/1997 धारा 302/201 आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

10. मु0अ0सं0-18/1997 धारा 394 आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

11. मु0अ0सं0-20/1997 धारा 392 आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

12. मु0अ0सं0-654/1994 धारा 302/401 आईपीसी दिल्ली(आउट स्टेशन कोर्ट मे विचाधीन)।

अन्य अभियोगो की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त जतिन शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः –

मु0अ0सं0 144/2026 धारा 109(1)/61(2) बी0एन0एस0 थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध देशी पिस्टल 0.32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.32 बोर एवं ग्रे रंग की अल्टो कार नम्बर- DL6CR9421 बरामद एवं 3 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम -’

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2)-थाना मोदीनगर पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न अभियानों की समीक्षा गोष्ठी के सम्बन्ध में।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में आज दिनांक 07.04.2026 को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ **अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न जागरुकता एवं प्रवर्तन अभियानों की प्रगति की समीक्षा** के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (सर्किल), सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध/अभिसूचना उपस्थित रहे।

गोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए -

- मिशन शक्ति फेज-05" अभियान के अन्तर्गत थानों पर स्थापित किये गये मिशन शक्ति केन्द्र एवं सर्किल स्तर पर स्थापित किये गये परिवार परामर्श केन्द्र पर नियुक्त पुलिस कर्मियों की कार्यशैली एवं प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गई।
- अवैध नशे के कारोबार, उसके सेवन तथा अवैध शस्त्रों की तस्करी एवं रखरखाव के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे **ऑपरेशन प्रहार** के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गई।
- यक्ष एप पर अपराधियों के सत्यापन, जियो टैगिंग व अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में समीक्षा की गई।
- सीनियर सिटीजन सेल का मुख्यालय के अतिरिक्त थानास्तर पर गठन करने एवं सहायक पुलिस आयुक्त स्तर पर पर्यवेक्षण करने सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा की गई।
- विभागीय कार्यवाही नियम 14 (1), 14 (2) व प्रारम्भिक जाँच के निस्तारण की कार्यवाही की समीक्षा की गई।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किये गये वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं मासिक निरीक्षणों की समीक्षा की गई।
- सीसीएमएस पोर्टल के अनुसार धारा 126/135 बीएनएसएस एवं धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत कार्यवाही एवं प्रचलित वादों में दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक किये गये अन्तिम निर्णय की समीक्षा की गई।
- सीसीएमएस पोर्टल के अनुसार धारा 129 बीएनएसएस के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही एवं धारा 136 बीएनएसएस के अन्तर्गत किये गये अन्तिम निर्णय की समीक्षा की गई।
- सीसीएमएस के अनुसार धारा 152/164 बीएनएसएस के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गई।
- बीट प्रणाली के अन्तर्गत बीट उपनिरीक्षक एवं बी०पी०ओ० द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा की गई।

- दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक पंजीकृत सम्पत्ति सम्बन्धी एवं शरीर सम्बन्धी तुलनात्मक अपराध आंकडों की समीक्षा की गई।
- दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक 02 वर्षीय तुलनात्मक निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा।
- दिनांक 31.03.2026 तक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा। (सीसीटीएनएस पोर्टल के अनुसार)।
- आगामी त्यौहार एवं डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर आयेजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गई।
- अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार-विमर्श/समीक्षा की गई।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान स्थिति का आंकलन कर कमिश्नरेट गाजियाबाद को और अधिक सुरक्षित, अपराधमुक्त, शांतिपूर्ण तथा नागरिक-अनुकूल बनाना है। गोष्ठी में अपराध दर में और अधिक कमी लाई जाने, कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।